संख्या–1993/एक–10–2021–33(79)/2015 टीसी

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन, हमीरपुर, औरैया, मैनपुरी, बांदा, मीरजापुर एवं सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2021

विषयः–जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–जालौन, हमीरपुर, औरैया, मैनपुरी, बांदा, मीरजापुर एवं सहारनपुर में जिला आप दा प्रबन्ध प्राधिकरण में तैनात आपदा विशेषज्ञों **को माह फरवरी, 2022 तक का मानदेय रू0 50,000/–प्रति माह दिये जाने** हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत **रू0 15,10,261/–(रूपये पन्द्रह लाख दस हजार दो सौ इकसठ मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन** नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
	2	3
1	जालौन	2,05,000.00
2	हमीरपुर	2,40,000.00
3	औरैया	2,50,000.00
4	मैनपुरी	1,96,774.00
5	बांदा	2,45,161.00
6	मीरजापुर	2,05,000.00
7	सहारनपुर	1,68,326.00
	योग	**15,10,261.00**
	(रू0 पन्द्रह लाख दस हजार दो सौ इकसठ मात्र)	

(1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–359–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2– उक्त स्वीकृति **रू0 15,10,261/–(रूपये पन्द्रह लाख दस हजार दो सौ इकसठ मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष–**2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80– सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या–1993 (1)/एक–10–2021–33(79)/15 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7– सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

29.12.21
(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-30/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1993
आवंटन आदेश संख्या:- 160-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	168326 268326	168326 268326
2	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	196774 446774	196774 446774
3	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	205000 305000	205000 305000
4	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000 340000	240000 340000
5	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	245161 345161	245161 345161
6	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	205000 455000	205000 455000
7	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 350000	250000 350000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1510261 2510261	1510261 2510261

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह लाख दस हजार दो सौ इकसठ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख दस हजार दो सौ इकसठ

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रता...)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।